तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./6799/2001/पाली सुरेन्द्रसिंह बनाम रूपीदेवी	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>एकलपीठ</u>

श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित –

श्री वी.एस. राठौउ, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री ओ.एल. दवे, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण
श्री खुर्शीद अनवर, उपराजकीय अधिवक्ता, अप्रार्थी सरकार

निर्णय

दिनांक 05.07.2022

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, बाली द्वारा प्रकरण संख्या–48/2001 में पारित आदेश दिनांक 25–08–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी निगराकार का तर्क है कि रूपीदेवी ने दावा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया था जो 09/1999 के रूप में दर्ज हुआ और दलपतसिंह ने जो दावा यिका वह 11/1999 के रूप में केवल स्थाई निषेधाज्ञा का था। दोनों दावे उपखण्ड अधिकारी, पाली से उपखण्ड अधिकारी, बाली में स्थान्तरित हो गये। किसी भी पक्ष द्वारा कोई आवेदन कन्सोलिडेट का पेश नहीं किया और दोनों दावों में जवाबदावा भी पेश नहीं हुआ, ना तनकीयां बनी है। जवाबदावा आने पर तनकीयां बनेगी और अनुतोष अलग अलग है लेकिन मौजूदा वाद में ऐसी कोई कार्यवाही नहीं हुई, स्वतः ही दोनों दावों को समेकित करने के आदेश दिये है, वह विधि विरूद्ध है। अतः आदेश अपास्त किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी का तर्क है कि दोनों दावोंमें पक्षकार समान है। वादग्रस्त जमीन भी एक ही है, वाद बाहुल्यता को रोकने के लिए दोनों दावों में एक साथ निर्णय करने का आदेश दिया है और दोनों दावों में प्लीडिग्स् के आधार पर ही तनकी बनेगी। इसलिए आदेश में कोई अवैधता नहीं है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं पारित निर्णयों का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी निगराकार का यह तर्क

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./6799/2001/पाली सुरेन्द्रसिंह बनाम रूपीदेवी	नम्बर व तारीख

कि किसी पक्षकार द्वारा आवेदन पेश किये बिना ही कन्सोलिडेशन के आदेश दिये गये है, जो विधिसम्मत् नहीं है, यह तर्क मानने योग्य नहीं है। धारा 151सीपीसी के तहत विवाद का अन्त करने के लिए दो वादों को एक साथ समामेलन करने के आदेश दिये जा सकते है, जो कि न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियां है, उसके लिए आवेदन किया जावे, ऐसा जरूरी नहीं है। न्यायहित में दोनों दावों की ट्रायल एक साथ किये जाने के आदेश दिये जा सकते है लेकिन मौजूदा प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा जो आदेश दिनांक 25-8-2001 को दिया गया है वह विधिसम्मत् अथवा उचित है या नहीं, यह देखने योग्य है।

दोनों पक्षों के तर्को से यह तथ्य निर्विवाद है कि रूपी ने एक वाद घोषणा और स्थाई निषेधाज्ञा का दलपत सिंह वगैराह के विरूद्ध पेश किया जिसमें पक्षकार फूलवन्ती, दलपतसिंह, सुरेन्द्रसिंह व सरकार है और एक वाद संख्या-11/1999 दलपतसिंह ने पेश किया जिसमें वादी दलपतसिंह व सुरेन्द्रसिंह तथा प्रतिवादी सुरेन्द्र कुमार, रूपीदेवी, फूलवन्ती व तहसीलदार है और दोनों ही दावे जवाबदावे के लिए चल रहे है और इसी आधार पर विचारण न्यायालय ने एक वाद में दूसरे वाद का जवाबदावा मान लिया जो कि विधिसम्मत् नहीं है। जब किसी मामले में वादी वादपत्र पेश करता है तो भले ही प्रतिवादी पृथक से कोई वाद दायर करे लेकिन उस वाद का पैरावाईज जवाब दिया जाना आवश्यक है। यदि जवाब नहीं दिया जाता है तो वादपत्र के तथ्य अखण्डित माने जा सकते है। इसलिए वादपत्र का जवाब अभिलेख पर आना आवश्यक है तब ही यह मालूम पडता है कि वास्तव में दोनों वादों में वाद बिन्दू समान है और तत्पश्चात् दोनों वादों की साक्ष्य एक साथ लेते हुए प्रकरण का तनकीवार विनिश्चय करते हुए निर्णय किया जाता है और उस निर्णय की एक एक प्रति दोनों वादों में लगाई जाती है लेकिन मौजूदा प्रकरण में अभी जवाबदावा पेश नहीं हुआ है और विचारण न्यायालय द्वारा स्वतः ही एक वाद को दूसरे वाद का जवाबदावा मान कर कन्सोलिडेशन का आदेश दिया है, जो पूर्णतयाः विधि विरूद्ध है और विधि की दृष्टि से यह आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है और ना ही इसे न्यायोचित कहा जा सकता है।

परिणामः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली का आदेश दिनांक 25-08-2001 अपास्त किया जाता है और विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि दोनों पक्षों का जवाब लेकर और तनकीयात की विरचना करने के पश्चात् ही आगे कार्यवाही करें।

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि दोनों वादों की तनकीयां समान बनती है तो दोनों वादों को कन्सोलिडेट करने के लिए न्यायालय स्वतन्त्र रहेगा।

दोनों पक्षों को जरिये अधिवक्तागण पाबन्द किया जाता है कि वे

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./6799/2001/पाली सुरेन्द्रसिंह बनाम रूपीदेवी	नम्बर व तारीख
	दिनांक 28–7–2022 को उपखण्ड अधिकारी, बाली के समक्ष उपस्थित होकर एक माह के भीतर अपना जवाबदावा पेश करें। प्रकरण वर्ष 1999 से लम्बित है, 22 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है, ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली को निर्देशित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में अल्प अवधि की तारीख पेशी नियत करते हुए मूल वाद का शीघ्र निस्तारण करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित हो। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(गणेश कुमार)** सदस्य	